



शकुन टाइम्स



निष्पक्ष खबरें निर्भीक आवाज

लखनऊ, बुधवार 19 फरवरी 2025 नगर संस्करण

पृष्ठ:-8 मूल्य:-4 रूपया

वर्ष:- 14, अंक 36

प्लेटफॉर्म बदलने के कारण हुआ था नई दिल्ली... लखनऊ से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र मैंने इस्तीफा नहीं दिया है, कार्यकाल...

नेता प्रतिपक्ष की टिप्पणी पर भड़के सीएम योगी

विपक्षी नेता उर्दू की वकालत करते और अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में भेजते

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। यह विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने सदन की कार्यवाही में क्षेत्रीय भाषाओं जैसे भोजपुरी, अवधी, ब्रज, बुंदेलखंडी और अंग्रेजी का उपयोग करने पर विरोध जताया। मिली जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर भड़क गए और उन्होंने तीखा जवाब दिया। सीएम योगी ने कहा कि आप लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, और फिर आप चाहते हैं कि आम लोगों के बच्चों को उर्दू पढ़ाकर देश को कट्टरपंथी बना दिया जाए। यह



विल्कुल नहीं चलेगा। दरअसल, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया कि कोई भी सदस्य अपनी भाषाई पसंद के अनुसार सदन में बोल सकता है। इस पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि वे अंग्रेजी के उपयोग का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी को टीक है, लेकिन अंग्रेजी का हम विरोध करते हैं। अगर अंग्रेजी में भाषण हो सकता है, तो उर्दू में क्यों नहीं? पांडेय ने यह भी कहा कि वे इसे बहुमत से पास कराने का विरोध

करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर तीखा पलटवार किया और कहा कि हमारी सरकार में भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं को सम्मान मिल रहा है, क्योंकि वे सभी हिंदी की बेटियां हैं। हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन विपक्ष का काम हमेशा विरोध करना होता है। सीएम योगी ने कहा कि विधानसभा में सदस्य समाज के विभिन्न वर्गों से आते हैं, और इसलिए हर व्यक्ति की आवाज सुनी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यह अजीब है कि आप हिंदी और भोजपुरी में बोलने का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उर्दू की वकालत कर रहे हैं। समाजवादियों का चरित्र ही दोहरा हो गया है। वे अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल भेजेंगे, लेकिन आम लोगों के बच्चों को उर्दू स्कूलों में भेजेंगे, जहां सुविधाओं का अभाव हो। सीएम योगी ने आगे कहा कि मैं कहता हूँ, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत तीन देखि वैसी। समाजवादी नेता अपनी नीति और विचारधारा के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि उनकी सरकार इन क्षेत्रीय भाषाओं के लिए अकादमियों का गठन कर रही है, और जब इन भाषाओं को सम्मान मिल रहा है, तो विपक्ष उसका विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा, ध्याप हर अच्छे काम का विरोध करते हैं। यही ढोंग है आपकी राजनीति का। आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, लेकिन दूसरे बच्चों के लिए उर्दू पढ़ाने की बात करेंगे।

आजम खां के बेटे अब्दुल्ला को बड़ी राहत, जेल से आएं बाहर एमपीएमएलए कोर्ट से जमानत मंजूर

एजेंसी लखनऊ। समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खां के बेटे अब्दुल्ला के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। शत्रु संपत्ति खुद-बुद करने के मामले में अब्दुल्ला की जमानत मंजूर हो गई है। रामपुर की एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अब्दुल्ला को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। माना जा रहा है कि तीन-चार दिनों में अब्दुल्ला सलाखों से बाहर आ जाएंगे। एक समय आजम, उनकी पत्नी तंजीन और बेटा अब्दुल्ला तीनों जेल में थे। पत्नी तंजीन पहले ही जमानत पर बाहर आ चुकी हैं। अब बेटा बाहर आया। हरदोई जेल में बंद सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम की जमानत अर्जी अदालत ने सशर्त मंजूर की है। कोर्ट ने 20-20 हजार के दो जमानती और इतनी ही धनराशि के मुचलके पर रिहाई का आदेश दिया है। जमानत की शर्तों में देश न छोड़ना, हर तारीख पर हाजिर होना,



गवाहों से छेड़छाड़ न करना और न्याय प्रक्रिया में सहयोग करना शामिल है। इससे पहले आजम खां इस मामले में 15 फरवरी को ही जमानत अर्जी वापस ले चुके हैं। मालूम हो कि पूर्व में शत्रु संपत्ति को खुद-बुद करने के आरोप से थिरे सपा नेता आजम खां व अब्दुल्ला आजम को रामपुर पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी। जिस पर यह मामला शासन तक पहुंचा था। जिसके बाद इस मामले में शासन ने दोबारा विवेचना के आदेश दिए गए थे। एसपी ने इस मामले की विवेचना अपराध शाखा के इंस्पेक्टर नवाब सिंह को सौंपी थी। नवाब सिंह इस वक्त रामपुर में शहर कोतवाल हैं। इस मामले में आजम और अब्दुल्ला को कोर्ट में आरोपी बनाया जा चुका है। सोमवार को अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित किया था। मंगलवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अब्दुल्ला आजम की जमानत मंजूर कर ली है।

प्रयागराज से आ रही ट्रेन में लगी आग, यात्रियों में मचा हड़कंप

एजेंसी सोनभद्र। मंगलवार दोपहर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के खैराही स्टेशन के पास स्थित कर्मा थाना क्षेत्र में एक बड़ी घटना घटित हुई। प्रयागराज से दिल्ली जा रही त्रिवेणी एक्सप्रेस में अचानक आग लग गई। ट्रेन में आग लगने के बाद, उसमें उठते हुए धुएँ को देख यात्रियों में अप्पा-तप्पी मच गई, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया और सभी यात्री सुरक्षित बच गए। मंगलवार की दोपहर जब त्रिवेणी एक्सप्रेस अपने रास्ते पर तेज गति से बढ़ रही थी, तभी डिल्ली के पास अचानक ट्रेन से धुआं उठने लगा। धुआं देख यात्री डर

टैंक में गिरने से तीन छात्रों की मौत जयपुर। राजस्थान में बीकानेर जिले के नोखा कस्बे में मंगलवार को एक सरकारी स्कूल में पानी के टैंक के मलबे में दबने से तीन छात्रों की मौत हो गयी। पुलिस उपाधीक्षक हिमांशु शर्मा ने बताया कि यह हादसा मंगलवार पूर्वाह्न करीब 11 बजे राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवनागढ़ में हुआ। ये छात्रों खेलते-खेलते स्कूल परिसर में बने पानी के टैंक के ऊपर पहुँच गयी। अचानक टैंक की पहिया टूट गयी और सभी छात्रों करीब आठ फुट नीचे गिर गयी और पहियों के मलबे में नीचे दब गयी। घटना में घायल छात्रों को मलबे से बाहर निकाल कर तत्काल अस्पताल पहुँचाया, जहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक छात्रों के नाम भावना, रविना एवं प्रजा है, जिनकी उम्र पाँच से आठ वर्ष के बीच है। मृतकों के शव नोखा के उप जिला अस्पताल में रखवाये हैं। हादसे की सूचना मिलते ही उपखंड अधिकारी गोपाल जाँगी और नोखा थानाधिकारी अमित स्वामी अस्पताल पहुँचे और हादसे की जानकारी ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

राहुल गांधी ने कैसे बताया अमित शाह का दाहिना हाथ ? सीईसी की नियुक्ति को करार दिया आधी रात का तयतापलट

एजेंसी नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नए मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) की नियुक्ति के बाद आरोप लगाया कि ऐसे समय में यह निर्णय आधी रात को लेना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के लिए गरिमा के प्रतिकूल है, जब चयन समिति की संरचना और प्रक्रिया को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है और 48 घंटे से भी कम समय में सुनवाई होनी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आधी रात का



तयतापलट कैसे मोदी-शाह ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) की नियुक्ति पर कब्जा किया। काँग्रेस ने पोस्ट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह अनिवार्य किया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) का चयन करने वाली

समिति में प्रधानमंत्री (पीएम), विपक्ष के नेता (एलओपी) और भारत के मुख्य न्यायाधीश (सोर्जेआई) शामिल हों। मोदी सरकार ने एक नया कानून पारित करके सोर्जेआईको हटा दिया और उनकी जगह प्रधानमंत्री के चुने हुए एक मंत्री को शामिल किया, जिससे न्यायिक निगरानी कमजोर हो गई। इस कानून को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिससे इसकी वैधता पर सवाल उठ गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई की तारीख 19 फरवरी तय की, जो नियुक्ति प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती थी। खतरे को भांपते हुए, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से पहले ही एडवोकेट जनरल को बैटक जल्दबाजी में बुला ली। विपक्ष के नेता ने स्थान की मांग की और समिति से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने का आग्रह किया। एक चौकाने वाले कदम में, सरकार ने 17 फरवरी को आधी रात को, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से महज 2 दिन पहले, ज्ञानेश कुमार को नए एडवोकेट के रूप में घोषित कर दिया। ज्ञानेश कुमार, जिन्हें अमित शाह का दाहिना हाथ माना जाता है, को 2024 के चुनावों की निगरानी के लिए चुना गया, जिससे भाजपा का चुनावी प्रक्रिया पर पकड़ और मजबूत हो गई।

सत्येंद्र जैन की बड़ी मुश्किलें

गृह मंत्रालय से भेजी गई फाइल पर राष्ट्रपति की मुहर

एजेंसी नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग करते हुए भेजी गई फाइल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकृति की मुहर लगा दी है। 60 वर्षीय जैन के खिलाफ गृह मंत्रालय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी देने का अनुरोध किया गया था। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया था कि मंत्रालय ने ईडी की जांच और पर्याप्त सबूत की मौजूदगी के आधार पर



राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से यह अनुरोध किया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर हवाला सौदों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मामला दर्ज किया और मई 2022

में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जैन फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं और ईडी ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अगस्त 2017 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जैन और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में दर्ज की गई प्राथमिकी से जुड़ा हुआ है। सीबीआई ने दिसंबर 2018 में आरोपपत्र दाखिल किया था जिसमें कहा गया था कि आय से अधिक तौर पर अधिक संपत्ति 1.47 करोड़ रुपये की थी, जो 2015-17 के दौरान जैन की आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 217 प्रतिशत अधिक थी।

मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति की कुर्की को न्यायाधिकरण ने बरकरार रखा

एजेंसी नई दिल्ली। अंसारी के कानूनी उत्तराधिकारियों, जिनमें उनकी पत्नी अफशा अंसारी और बेटे उमर और अब्बास अंसारी शामिल हैं, ने इस कुर्की का विरोध किया। हालांकि, गहन सुनवाई के बाद न्यायाधिकरण ने संपत्ति के बेनामी होने की पुष्टि की और कुर्की को बरकरार रखा। कथित तौर पर इस संपत्ति को फर्जी सौदे के जरिए तनवीर सहर नामक व्यक्ति को 76 लाख रुपये में बेचा गया था। जांच में पता चला कि सहर ने संपत्ति के भुगतान के लिए तीन चेक जारी किए थे, जिनमें से किसी में भी कोई जमा या भुनाया नहीं गया, जिससे पता चलता है कि यह सौदा वैध दिखने के लिए गढ़ा गया था। आयकर जांच के तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त

धुवपुरारी सिंह द्वारा आगे की जांच में पता चला कि सहर ने कभी कोई आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया था और उसकी आय का कोई स्पष्ट स्रोत नहीं था। उसके पति की आय मात्र 1.74 लाख रुपये बताई गई थी, जिससे संपत्ति के लेन-देन के लिए इस्तेमाल किए गए धन के बारे में संदेह पैदा हुआ। आयकर बेनामी इकाई की जांच में यह भी पता चला कि इसी संपत्ति को पहले मुख्तार अंसारी के सहयोगी गणेश दत्त मिश्रा ने 1.6 करोड़ रुपये के ऋण के लिए गिरवी रखा था, जिसे पूरी तरह से चुका दिया गया था। इसके बाद, संपत्ति सहर को हस्तांतरित कर दी गई। मिश्रा ने आयकर अधिकारियों को दिए अपने बयान में खुलासा किया कि संपत्ति का हस्तांतरण आतिफ रजा द्वारा किया गया था, जो मुख्तार अंसारी का साला है।

ब्यूरोक्रेट की पत्नी को पद देने की प्रथा खत्म होगी

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बोली यूपी सरकार

एजेंसी नई दिल्ली/लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद यूपी सरकार ने कहा है कि ब्यूरोक्रेट की पत्नियों को पद देने की प्रथा खत्म की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि अब सरकारी नौकरशाहों की पत्नियों को पदेन पद देने की औपनिवेशिक परंपरा को खत्म किया जाएगा। राज्य की सहकारी समितियों, ट्रस्टों और सोसाइटी के लिए नए मॉडल बॉयलॉज बनाए जा रहे हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे



लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हों। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में मई 2024 में इस प्रथा को औपनिवेशिक मानसिकता वाला

अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट (धरु) की पत्नी को दी जा रही थी। कोर्ट ने कहा था कि क्यों सिर्फ डीएम की पत्नी को अध्यक्ष बनाया जाता है? कोर्ट ने पूछा, यह नेतृत्व क्षमता या सामाजिक सेवा के आधार पर क्यों नहीं होता? कोर्ट ने यह भी देखा कि रेड क्रॉस सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी जैसी संस्थाओं में भी यही परंपरा थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह एक औपनिवेशिक मानसिकता है, जिसमें नौकरशाहों की पत्नियों को विशेष पदों पर रखा जाता है। यूपी सरकार को सहकारी समितियों,

ट्रस्टों और सोसाइटी से जुड़े सभी कानूनों में संशोधन करने के निर्देश दिए गए। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कोई संस्था सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है, तो उसे सरकार के नए मॉडल बॉयलॉज का पालन करना होगा, अन्यथा उसे कानूनी पहचान और सरकारी सहायता से वंचित किया जा सकता है। यूपी सरकार ने बताया कि संशोधन का मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इन संस्थाओं का संचालन लोकतांत्रिक रूप से चुने गए सदस्यों द्वारा हो।

RNI : UPHIN/2012/45286

शकुन टाइम्स
निष्पक्ष खबरें निर्भीक आवाज
राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र (प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंजीकृत

शकुन टाइम्स आवश्यकता है

उत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण जिले में तहसील और ब्लॉक स्तर पर संवाददाता की

प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया

यदि आप भी समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध उठाना चाहते हैं आवाज तो शकुन टाइम्स दे रहा है आपको एक बेहतरीन मौका

अधिक जानाकारी के लिए अपना नाम व जिला हमें WhatsApp करें

9935781155, 9415052283



प्लेटफॉर्म बदलने के कारण हुआ था नई दिल्ली स्टेशन पर हादसा: आरपीएफ

एजेंसी

नयी दिल्ली। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने गत शनिवार को नई दिल्ली स्टेशन पर हुई भगदड़ को लेकर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि स्टेशन पर प्रयागराज के लिए चलने वाली विशेष ट्रेन के प्लेटफॉर्म में परिवर्तन की घोषणा के बाद अफरातफरी में फुटओवर ब्रिज पर लोगों में धक्का-मुक्की के बाद यात्री एक दूसरे पर गिरने लगे जिससे 20 यात्रियों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। आरपीएफ चौकी नई दिल्ली के प्रभारी निरीक्षक द्वारा वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त (समन्वय) को रविवार को सौंपी गई रिपोर्ट में विस्तार से घटना की जानकारी दी। हालांकि इन्होंने की संख्या के बारे में रेल अधिकारियों और आरपीएफ रिपोर्ट के दावे अलग अलग हैं। रिपोर्ट में प्रभारी निरीक्षक ने लिखा है कि दिनांक 15 फरवरी को नई दिल्ली



रेलवे स्टेशन पर सामान्य दिनों की भांति प्रयागराज की तरफ जाने वाली भीड़-भाड़ वाली गाड़ियों को निरीक्षक नई दिल्ली हमराह स्टाफ आरपीएफ पोस्ट नई दिल्ली एवं मंडल की अन्य पोस्टों से आये स्टाफ के साथ कुम्भ मेले के दौरान भीड़ को और दिनों की तरह ठीक-ठाक पास करवाया जा रहा था। गाड़ी संख्या 12560 शिवगंगा के प्लेटफॉर्म 12 से प्रस्थान होने के बाद अचानक से स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी जिससे फुटओवर ब्रिज 2 और 3 चोक हो गए तथा प्लेटफॉर्म 12-13, 14-15 एवं 16 पर

जाम की स्थिति पैदा हो गयी। मौके पर ही सहायक सुरक्षा आयुक्त (नई दिल्ली) फुटओवर ब्रिज 2 पर आये और भीड़ का आंकलन कर स्टेशन डायरेक्टर को और अधिक टिकट बेचने से मना किया और अधिक भीड़ होने का अंदेश जताते हुए सतर्कता बरतने के लिए कहा गया। रिपोर्ट के अनुसार आरपीएफ प्रभारी ने सीसीटीवी के माध्यम से उद्घोषणा करवाकर सभी ऑन ड्यूटी तथा ऑफ ड्यूटी स्टाफ को तुरंत उक्त प्लेटफॉर्म और फुटओवर ब्रिजों पर पहुंचने के निर्देश दिए तथा स्टेशन डायरेक्टर को स्पेशल गाड़ी भर जाने पर तुरंत चलाने का आदेश देने हेतु कहा गया और स्वयं स्टाफ के साथ फुटओवर ब्रिज 2 पर मौजूद रहकर तथा अन्य अधिकारियों को स्टाफ के साथ फुटओवर ब्रिज 3 पर पहुँच कर स्थिति को सँभालने के निर्देश दिए। इसी दौरान सहायक सुरक्षा आयुक्त (नई दिल्ली) स्वयं फुटओवर ब्रिज 3

कन्याकुमारी से दिल्ली तक आयोजित श्रमिक सम्मान यात्रा में शामिल लोगों का किया गया स्वागत



शकुन टाइम्स संवाददाता


पालघर। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को समस्याओं का समाधान करने हेतु कन्या कुमारी से दिल्ली तक श्रमिकों सम्मान यात्रा की शुरुआत 25 जनवरी 2025 को की गई। श्रमिक सम्मान यात्रा 15 फरवरी को पालघर जिले के कासा थाना क्षेत्र अंतर्गत चारोटी पहुँची। चारोटी में कष्टकर संघटना के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने श्रमिक सम्मान यात्रा में शामिल सभी लोगों भव्य स्वागत किया। इस दौरान चारोटी से कासा

तक गर्व से कहो, हम मजदूर हैं, देश बनाने वाले हम ही हैं, श्रम की चोरी बंद करो, कहां रोजगार कहां हम, मजदुरी सुद्धा कमी कमी, पेशान प्राप्त करने का हमारा अधिकार है। इत्यादि नारों का उदघोष करते हुए रैली निकाली गई। उक्त रैली कासा पहुँचने पर एक सभा में तब्दील हो गई। इस सभा दौरान राजू भीसे, ब्रायन लोबो, रिमता ताई, किरण ताई, संतोष भाऊ आदि ने उपस्थित जनों को संबोधित किया। सभा का सूत्र संचालन सुनील मलावकर द्वारा किया गया।

शाह ने कश्मीर में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर समीक्षा बैठक की

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर में तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के बारे में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में मंगलवार को यहां समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए श्री अब्दुल्ला ने कहा, गृह मंत्री लगातार देश में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे हैं कि उनका किस तरह और किस हद तक इस्तेमाल किया गया है। इस संबंध में अब जम्मू-कश्मीर की बारी है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने बताया कि 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। श्री अब्दुल्ला ने



कहा, जम्मू-कश्मीर में काफी हद तक इन कानूनों का क्रियान्वयन अच्छा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दे रहे हैं और उन पर भी चर्चा की गई अब उन्हें भी ठीक किया जाएगा। उन्होंने कहा, जहां तक निर्वाचित सरकार का सवाल है, वैसे तो केंद्र शासित प्रदेशों में कानून लागू करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन चूंकि ये नए कानून हैं, इसलिए यह जरूरी है कि लोगों को कानून के बारे में जागरूक किया जाए। लोगों को कानून के बारे में जागरूक करने के लिए निर्वाचित सरकार को कुछ

सुरक्षित एवं समृद्ध भविष्य के लिए जल आत्मनिर्भरता बेहद महत्वपूर्ण-भजनलाल

एजेंसी

उदयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सुरक्षित एवं समृद्ध भविष्य के लिए जल आत्मनिर्भरता बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि हमें जल संरक्षण के उपायों को अपनाकर जल आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। जिससे आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य प्रदान किया जा सके। श्री शर्मा मंगलवार को उदयपुर में राज्य जल मंत्रियों के दूसरे अखिल भारतीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जल आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें एक सुव्यवस्थित रोडमैप की आवश्यकता है, जिसमें कृषि तथा शहरी जल प्रबंधन और



तकनीकी नवाचार जैसे प्रमुख पहलुओं का समावेश हो। उन्होंने इस आयोजन के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह सम्मेलन सहयोगात्मक संघवाद की परिकल्पना की जीती-जागती मिसाल है। उन्होंने कहा कि हमारी संवैधानिक

व्यवस्था में जल राज्यों का एक विषय है, लेकिन प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों से जल राज्यों के बीच समन्वय एवं सहयोग का विषय बन गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में जल आत्मनिर्भरता की भूमिका अत्यंत

रास्ते को लेकर दो पक्षों में झगड़ा, पांच घायल

अलवर। राजस्थान में अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना अंतर्गत ग्राम सुमेल का बास में खेत के आम रास्ते को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गये। पुलिस के अनुसार परिवारी मनीराम ने बताया उनके परिवार के ही कुछ लोग हैं, जो उनके खेत से जबरन तरीके से रास्ता मांगते हैं। उनको रास्ता भी दे दिया, लेकिन वे खेत के बीच में से रास्ता मांगते हैं, और इसके लिये उन्होंने न्यायालय से स्थगनादेश ले रखा था, लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया। उसी संज्ञक के तहत गोकुल, सांवली, रामावतार रामकृपाल, अशोक, महेश, मनीष, याराम, सोनू, उमेश, कपिल, बृजमोहन, काली, मीरा, आशा मनीषा कई लोग घर में घुस गये और लाठी-डंडों से मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया।

जरूरत पड़ी तो जेलैस्की से सीधा बात करेंगे पुतिन

सऊदी में मीटिंग के बाद रूस का बड़ा बयान

एजेंसी

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में एंटी के बाद बीते तीन साल से चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध में नया मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है। रूस ने इस जंग को लेकर मंगलवार को बड़ा बयान दिया है। क्रैमलिन ने मंगलवार को कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जरूरत पड़ने पर वोलोडिमिर जेलेंस्की से बात करने के लिए तैयार हैं। हालांकि इस दौरान रूस ने यूक्रेनी राष्ट्रपति के रूप में जेलेंस्की की वैधता पर भी सवाल खड़े किए हैं। रूस ने यह भी कहा है कि सुरक्षा के व्यापक मुद्दे पर बात किए बिना यूक्रेन जंग का कोई हल नहीं निकल सकता। मंगलवार को क्रैमलिन के



प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, पुतिन ने खुद कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वे जेलेंस्की के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा,

हालांकि समझौतों के कानूनी आधार पर चर्चा की जरूरत है क्योंकि सच यह है कि जेलेंस्की की वैधता पर सवाल उठाए जा सकते हैं। बता दें कि राष्ट्रपति के रूप में जेलेंस्की का

पांच साल का कार्यकाल पिछले साल खत्म हो गया था। हालांकि यूक्रेनी कानून के अनुसार मार्शल लॉ के लागू रहते राष्ट्रपति चुनाव आयोजित कराए जाने की जरूरत नहीं होती है। रूस ने कई मौकों पर इस पर सवाल उठाए हैं और यह तक कहा है कि रूस उन्हें वैध राष्ट्रपति के रूप में नहीं देखता है। इस दौरान रूस ने यह भी कहा कि रूस यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल होने से नहीं रोकेगा। हालांकि उन्होंने दोहराया कि वह यूक्रेन के नाटो का हिस्सा बनने का विरोध करता रहेगा। पेसकोव ने कहा, यूक्रेन के यूरोपीय संघ में शामिल होने के संबंध में रूस को कोई आपत्ति नहीं है। यह किसी भी देश का संप्रभु अधिकार है।

सीबीआई ने आईएस अधिकारी सेठी के सरकारी आवास पर मारा छापा

एजेंसी

भुवनेश्वर। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की आठ सदस्यीय टीम ने ब्रिज एंड रूफ कंपनी से जुड़े रिश्तखोरी मामले में मंगलवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएसएस) के वरिष्ठ अधिकारी विष्णुपद सेठी के सरकारी आवास पर छापेमारी की। सीबीआई की टीम दिल्ली से आज ओडिशा पहुंची। सीबीआई की एक अन्य टीम बालासोर जिले के जलेश्वर स्थित आईएसएस अधिकारी के आवास पर भी छापेमारी कर रही है। सीबीआई ने इससे पहले सेठी को रिश्तख मामले में तलब किया, लेकिन वरिष्ठ आईएसएस अधिकारी पूछताछ के लिए टीम के सामने पेश हुए थे।



इसके अलावा, सात दिसंबर को, सीबीआई टीम ने यहाँ एक होटल में 10 लाख रुपये की नकदी जब्त की और फिर ब्रिज एंड रूफ कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) चंचल मुखर्जी, प्रबंध निदेशक देवदत्त महापात्रा और एक निजी टेकेदार को बोली निर्धारित करने के मामले में गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई एक भ्रष्टाचार जांच के तहत की गई, जिसमें इन व्यक्तियों पर बोली प्रक्रिया में अनियमितताओं

और घोटाले का आरोप लगाया गया है। आज सुबह जब आठ सदस्यीय सीबीआई टीम सेठी के आधिकारिक आवास पर पहुंची। वरिष्ठ आईएसएस अधिकारी ने ब्रिज एंड रूफ कंपनी या उसके सीजीएम मुखर्जी के साथ किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई टीम बिना किसी प्राथमिकी (एफआईआर) या महिला अधिकारियों की मौजूदगी के जबरन उनके आधिकारिक आवास में घुस गई। सेठी और उनकी पत्नी ने छापेमारी को लेकर सीबीआई टीम के साथ तीखी बहस की तथा दावा किया कि यह छापेमारी बिना वारंट जारी किये की गयी है।

वर्ष 2047 तक भारत को जल सुरक्षित राष्ट्र बनाना केन्द्र सरकार का विजन-पाटिल

एजेंसी

उदयपुर। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने वर्ष 2047 तक भारत को जल सुरक्षित राष्ट्र बनाना केन्द्र सरकार का विजन बताते हुए कहा है कि वह जल प्रबंधन के लिए प्रभावी कार्ययोजना बना रही है। श्री पाटिल मंगलवार को उदयपुर में राज्य जल मंत्रियों के दूसरे अखिल भारतीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 तक देश को जल सुरक्षित राष्ट्र बनाने के विजन पर हम काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजमल सेतु परियोजना (संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना) के तहत राजस्थान को ज्यादा पानी मिलेगा। परियोजना के तहत आने वाले समय में राजस्थान को बढ़ी मात्रा में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने कहा कि यमुना जल समझौते के तहत भी राजस्थान तथा हरियाणा राज्यों के त्वरित निर्णय से यमुना का सरप्लस वॉटर राजस्थान में आना संभव हो पाएगा। उन्होंने आह्वान किया कि हम



सभी को 2047 तक देश को जल सुरक्षित राष्ट्र बनाने, हर घर में स्वच्छ जल पहुंचाने, किसानों को जल संकट से मुक्ति, नदी-जलाशयों को पुर्नजीवित करने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदीजी ने स्वच्छता पर जोर दिया तथा 12 करोड़ शौचालय बनाए जिससे 60 करोड़ लोग लाभान्वित हुए तथा डायरिया जैसी गंभीर बीमारियों में उल्लेखनीय कमी आई। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत अब देश के 15 करोड़ घरों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। पानी की शुद्धता को जांचने के लिए 25 लाख महिलाओं

को फिट एवं प्रशिक्षण दिया गया। इसी तरह, वर्षा जल संग्रहण के लिए कैच द रैन का अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के माध्यम से प्रवासी गांवों में भू जल पुर्नभरण के लिए रिचार्ज वैल बनाने में योगदान दे रहे हैं। इस अवसर पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांडी ने कहा कि ओडिशा में से महानदी, गोदावरी, नर्मदा और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदिया बहती है जो जल संरक्षण के प्रति हमारी जिम्मेदारी को बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि ओडिशा में वर्षा पर्याप्त है लेकिन वर्षा वितरण में असमानता है।

महबूबा ने माखन दीन की मौत की जांच पर निष्क्रियता की आलोचना की

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को कहा कि एक गुज्जर युवक माखन दीन की मौत के हफ्तों बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, न तो न्यायिक जांच हुई और न ही शोक संतप्त परिवार को सहायता या मुआवजा प्रदान किया गया। सुश्री मुफ्ती ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, माखन दीन की दुखद मौत को कई हफते बीत चुके हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। न्यायिक जांच या शोक संतप्त परिवार के लिए किसी भी प्रकार के समर्थन या मुआवजे का कोई आदेश नहीं है। उन्होंने कहा, सबसे चिंताजनक बात यह है कि खिलावर के पुलिस जिसने कथित तौर पर पीड़िता को आत्महत्या के लिए मजबूर किया था, अभी भी फरार है। मामला यहीं खत्म नहीं होता - माखन दीन जैसे कई निर्दोष व्यक्तियों को एक ही अधिकारी द्वारा उग्रवाद के झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया जाता है और जब तक कार्रवाई नहीं की जाती, उन्हें उसी दुखद भाग्य का सामना करना पड़ सकता है।

RNI : UPHIN/2012/45286

शकुन टाइम्स

(राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंजीकृत

YouTube f t p shakuntimes

आवश्यकता है

भारत के समस्त राज्यों व जिलों में अनुभवी और तेज रतार प्रेस रिपोर्टों की

यदि आप में है गलत को गलत कहने की हिम्मत तो शकुन टाइम्स में आपका स्वागत है

नोट : प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया में एक साथ कार्य करने का सुनहरा अवसर

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :- 9415052283, 9506320127

संपर्क कार्यालय : शक्तिपीठ, सारनाथ, वाराणसी (उ.प्र.) 221007

